

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,

नगर निगम- बिहारशरीफ, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार, बेगूसराय एवं पूर्णियाँ।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,

नगर परिषद- खगौल, मोतिहारी, जमालपुर एवं किशनगंज।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,

नगर पंचायत- बख्तियारपुर, विक्रम, राजगीर, नवगछिया, कहलगाँव, बांका, चकिया, चनपटिया, रामनगर, जयनगर, हवेली खड्गपुर, बड़हिया, दीघवारा, मढौरा, एकमा बाजार एवं बनमंखी।

पटना, दिनांक- 10/3/17

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में Performance Grant मद के रूप में भारत सरकार से प्राप्त कुल ₹10421.56 लाख (एक सौ चार करोड़ इक्कीस लाख छप्पन हजार रु०) में से Performance Grant की विमुक्ति हेतु जारी Operational Criteria के अनुसार योग्य शहरी स्थानीय निकायों के बीच अवशेष ₹7868.81580 लाख (अठहत्तर करोड़ अड़सठ लाख इक्क्यासी हजार पाँच सौ अस्सी रु०) अनुदान की राशि के आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार से Performance Grant मद राशि की विमुक्ति की सूचना वित्त विभाग के पत्रांक- 1345, दिनांक- 23.02.2017 द्वारा दी गयी है। भारत सरकार से Performance Grant मद में कुल ₹10421.56 लाख (एक सौ चार करोड़ इक्कीस लाख छप्पन हजार रु०) मात्र अनुदान की राशि शहरी स्थानीय निकायों के बीच वितरित करने हेतु प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली Basic Grant एवं Performance Grant की राशि को भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरांत राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के बीच जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर वितरित करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक- 08.07.2015 के मद संख्या- 57 द्वारा प्राप्त हो चुकी है।

2. भारत सरकार से प्राप्त होने वाली 14वें वित्त आयोग मद के Performance Grant की राशि को विमुक्त करने हेतु 14वें वित्त आयोग द्वारा निम्नांकित शर्तें निर्धारित की गई हैं:-

(i) Audited Account for FY 2014-15

(ii) Minimum 5% increase in own sources during FY 2015-16 over FY 2014-15

(iii) Service level benchmarking in annual Budget for FY 2016-17 and publishing the same

3. विभागीय पत्रांक- 8687, दिनांक- 25.11.2016 द्वारा 14वें वित्त आयोग के Performance Grant की राशि के वितरण हेतु विस्तृत प्रक्रिया तैयार कर शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया। जिसके कंडिका- 2(d) में यह प्रावधान किया गया था कि उपरोक्त तीनों शर्तों में से यदि कोई शर्त नगर निकाय पूरा नहीं कर पाता है तो उस शर्त के अंश राशि की कटौती कर ली जायेगी।
4. अवर सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ई०-मेल के माध्यम से विभाग द्वारा प्रेषित किये गये राशि के वितरण हेतु विस्तृत प्रक्रिया के कंडिका- 2(d) में निहित "तीनों शर्तों में से यदि कोई शर्त नगर निकाय पूरा नहीं कर पाता है तो उस शर्त के अंश राशि की कटौती की जायेगी।" को हटाकर संशोधित प्रारूप/वितरण की प्रक्रिया पुनः भेजने का अनुरोध किया गया। तदनुसार विभाग द्वारा संशोधित प्रक्रिया भारत सरकार को भेजी गयी, जिसके अनुसार वित्त आयोग द्वारा निर्धारित तीनों शर्तों का जो नगर निकाय पूरी तरह पालन करेंगे मात्र उन्हें ही Performance Grant की राशि आवंटित की जायेगी।
5. वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों के पालन अथवा पूरा करने के संबंध में सभी 140 नगर निकाय से संबंधित प्रतिवेदन 'SPUR' के पत्रांक- 116, दिनांक- 23.02.2017 द्वारा उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार मात्र 26 नगर निकाय ऐसे हैं जो उक्त तीनों शर्तों का शतप्रतिशत अनुपालन करते हैं। इनमें 06 नगर निगम, 04 नगर परिषद एवं 16 नगर पंचायत ही शामिल हैं।
6. तदनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा आलोक में भारत सरकार से प्राप्त Performance Grant की कुल ₹10421.56 लाख (एक सौ चार करोड़ इक्कीस लाख छप्पन हजार रु०) में से वित्त आयोग द्वारा निर्धारित तीनों शर्तों को पूरा करने वाले 26 नगर निकायों को 90 प्रतिशत जनसंख्या एवं 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर वितरित करते हुए ₹2552.74420 लाख (पच्चीस करोड़ बावन लाख चौहत्तर हजार चार सौ बीस रु०) मात्र विभागीय राज्यादेश सं०- 242, दिनांक- 06.03.2017 द्वारा स्वीकृत करते हुए आवंटनादेश सं०- 243, दिनांक- 06.03.2017 द्वारा स्वीकृत एवं आवंटित किया जा चुका है।
7. 14वें वित्त आयोग के Performance Grant की राशि के वितरण हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजे गये विस्तृत प्रक्रिया (Detailed Procedure) के कंडिका- 1(B) में निम्नांकित शर्त का उल्लेख है :-

"In case some amount of the performance grant remains after disbursement to the eligible ULB's, the undisbursed amount should be distributed on an equitable basis among all the eligible ULB's that had fulfilled the conditions for getting the performance grant".

8. तदनुसार उक्त शर्त के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2016-17 में 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार से प्राप्त Performance Grant की कुल ₹10421.56 लाख (एक सौ चार करोड़ इक्कीस लाख छप्पन हजार रु०) में से वित्त आयोग द्वारा निर्धारित तीनों शर्तों को पूरा करने वाले 26 नगर निकायों को 90 प्रतिशत जनसंख्या एवं 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर ₹2552.74420 लाख (पच्चीस करोड़ बावन लाख चौहत्तर हजार चार सौ बीस रु०) मात्र वितरित करने के उपरांत अवशेष ₹7868.81580 लाख (अठहत्तर करोड़ अड़सठ लाख इक्यासी हजार पाँच सौ अस्सी रु०) मात्र अनुदान की राशि को विस्तृत प्रक्रिया (Detailed Procedure) के कंडिका- 1(B) एवं विभागीय राज्यादेश सं०-249 दिनांक-10/03/17 के आलोक में संलग्न सूची के अनुसार आवंटित किया जाता है।

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹7868.81580 लाख (अठहत्तर करोड़ अड़सठ लाख इक्यासी हजार पाँच सौ अस्सी रु०) मात्र ।

9. कुल आवंटित ₹7868.81580 लाख (अठहत्तर करोड़ अड़सठ लाख इक्यासी हजार पाँच सौ अस्सी रु०) मात्र की राशि की निकासी, संबंधित नगर निकायों के नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा संबंधित कोषागार से की जायेगी एवं अपने पी०एल० खाता में संधारित की जायेगी। 14वें वित्त आयोग के प्रावधानों के अनुसार इस राशि की निकासी 15 दिनों के अंदर करना अनिवार्य है, अन्यथा विलम्ब के लिए राज्य सरकार को ब्याज देना पड़ेगा। तदनुसार हर स्तर पर तत्परता अपेक्षित है। संबंधित सभी नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी की वे निर्धारित अवधि के पूर्व अपने नगर निकाय के लिए स्वीकृत राशि की कोषागार से निकासी सुनिश्चित करेंगे।

10. कुल आवंटित राशि ₹7868.81580 लाख (अठहत्तर करोड़ अड़सठ लाख इक्यासी हजार पाँच सौ अस्सी रु०) मात्र की निकासी वित्तीय वर्ष 2016-17 में मांग संख्या-48 के अंतर्गत निम्न बजट शीर्षों से की जाएगी :-

(क) कुल आवंटित राशि ₹7868.81580 लाख (अठहत्तर करोड़ अड़सठ लाख इक्यासी हजार पाँच सौ अस्सी रु०) मात्र से ₹3788.28005 लाख (सैंतीस करोड़ अठासी लाख अठाईस हजार पाँच रु०) मात्र क्रमांक- 01 से 06 पर अंकित नगर निगमों द्वारा मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-191-नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष-0010-वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निगमों को प्राथमिक कार्यों के लिए सहायक अनुदान, विपत्र कोड- N 2217801910010, विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण मद से संलग्न सूची के स्तम्भ- 6 में अंकित राशि की निकासी की जायेगी तथा विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा मद से संलग्न सूची के स्तम्भ- 7 में अंकित राशि की निकासी की जायेगी। इस बजट शीर्ष से संबंधित नगर निगमों के नगर आयुक्त द्वारा राशि की निकासी की जायेगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक उपबंध में आवश्यक राशि का प्रावधान है।

4

(ख) कुल आवंटित राशि ₹7868.81580 लाख (अठहत्तर करोड़ अड़सठ लाख इक्यासी हजार पाँच सौ अस्सी रु०) मात्र से ₹2904.06584 लाख (उनतीस करोड़ चार लाख छः हजार पाँच सौ चौरासी रु०) मात्र क्रमांक- 07 से 10 पर अंकित नगर परिषदों द्वारा मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-192-नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, उप शीर्ष- 0001-वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर परिषदों को प्राथमिक कार्यों के लिए सहायक अनुदान, विपत्र कोड- N 2217801920001, विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण मद से संलग्न सूची के स्तम्भ- 6 में अंकित राशि की निकासी की जायेगी तथा विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा मद से संलग्न सूची के स्तम्भ- 7 में अंकित राशि की निकासी की जायेगी। इस बजट शीर्ष से संबंधित नगर परिषदों के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी की जायेगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक उपबंध में आवश्यक राशि का प्रावधान है।

(ग) कुल आवंटित राशि ₹7868.81580 लाख (अठहत्तर करोड़ अड़सठ लाख इक्यासी हजार पाँच सौ अस्सी रु०) मात्र से ₹1176.46991 लाख (ग्यारह करोड़ छिहत्तर लाख छियालीस हजार नौ सौ इक्यानवे रु०) मात्र क्रमांक- 01 से 06 पर अंकित नगर निगमों द्वारा मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष-0001-वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायतों को प्राथमिक कार्यों के लिए सहायक अनुदान, विपत्र कोड- N 2217801930001, विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण मद से संलग्न सूची के स्तम्भ- 6 में अंकित राशि की निकासी की जायेगी तथा विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा मद से संलग्न सूची के स्तम्भ- 7 में अंकित राशि की निकासी की जायेगी। इस बजट शीर्ष से संबंधित नगर पंचायतों के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी की जायेगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक उपबंध में आवश्यक राशि का प्रावधान है।

11. शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा इस राशि का संधारण अपने नगर निकाय के पी०एल० खाता में किया जायेगा। विभागीय संकल्प सं०- 3583, दिनांक- 13.07.2015 के प्रावधानों के अनुसार योजनाओं का चयन एवं राशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। नगर निकायों का दायित्व होगा कि हर हाल में पूरी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, बिहार को ससमय उपलब्ध कराने हेतु विहित प्रपत्र (दो प्रतियों) में विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे ताकि उसे प्रतिहस्ताक्षरित कर महालेखाकार को भेजा जा सके। अन्यथा इसके लिए संबंधित नगर निकाय उत्तरदायी होंगे।

12. शहरी स्थानीय निकायों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि चयनित योजनाओं का डुप्लिकेशन किसी भी परिस्थिति में अन्य योजनाओं से नहीं हो।

13. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2), दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

14. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

अनु०-यथोक्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/14वें वित्त आयोग-25-03/2015 250 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-10/03/17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/वित्त विभाग (14वाँ वित्त आयोग कोषांग)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विशेष सचिव-सह-निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 एवं 07/विभागीय आई०टी०, प्रबंधक, को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/प्रबंधक, एम०आई०सेल को संबंधित नगर निकायों को ससमय राशि की निकासी करने की सूचना देने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी संबंधित नगर परिषद् एवं नगर पंचायत के साथ ही कोषागार पदाधिकारी संबंधित कोषागार का यह दायित्व होगा कि नगर निकायों के संबंधित विपत्र कोड से ही राशि की निकासी की जाय।

सरकार के विशेष सचिव।

unt

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

(राशि रु० में)

क्र० सं०	नगर निगम का नाम	जनसंख्या के आधार पर आकलित 90 प्रतिशत राशि	क्षेत्रफल के आधार पर आकलित 10 प्रतिशत राशि	कुल स्वीकृत राशि (रुपये में) (3+4)	विषय शीर्ष 31 05 से निकासी की जाने वाली राशि	विषय शीर्ष 31 06 से निकासी की जाने वाली राशि	निकासी की जाने वाली कुल राशि (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बिहारशरीफ नगर निगम	5,54,75,513.00	56,29,479.00	6,11,04,992.00	3,05,52,496.00	3,05,52,496.00	6,11,04,992.00
2	भागलपुर नगर निगम	7,46,74,384.00	72,27,293.00	8,19,01,677.00	4,09,50,838.00	4,09,50,839.00	8,19,01,677.00
3	मुजफ्फरपुर नगर निगम	6,61,48,934.00	63,31,368.00	7,24,80,302.00	3,62,40,151.00	3,62,40,151.00	7,24,80,302.00
4	कटिहार नगर निगम	4,49,44,668.00	58,78,614.00	5,08,23,282.00	2,54,11,641.00	2,54,11,641.00	5,08,23,282.00
5	बेगुसराय नगर निगम	4,70,29,190.00	21,51,180.00	4,91,80,370.00	2,45,90,184.50	2,45,90,185.50	4,91,80,370.00
6	पूर्णियाँ नगर निगम	5,26,72,513.00	1,06,64,869.00	6,33,37,382.00	3,16,68,691.00	3,16,68,691.00	6,33,37,382.00
	कुल (क)	34,09,45,202.00	3,78,82,803.00	37,88,28,005.00	18,94,14,001.50	18,94,14,003.50	37,88,28,005.00
7	नगर परिषद, खगोल	3,03,74,859.00	25,75,797.00	3,29,50,656.00	1,64,75,328.00	1,64,75,328.00	3,29,50,656.00
8	नगर परिषद, मोतिहारी	8,63,77,050.00	67,25,155.00	9,31,02,205.00	4,65,51,103.00	4,65,51,102.00	9,31,02,205.00
9	नगर परिषद, जमालपुर	7,21,87,874.00	51,56,436.00	7,73,44,310.00	3,86,72,155.00	3,86,72,155.00	7,73,44,310.00
10	नगर परिषद, किशनगंज	7,24,26,141.00	1,45,83,272.00	8,70,09,413.00	4,35,04,707.00	4,35,04,706.00	8,70,09,413.00
	कुल (ख)	26,13,65,924.00	2,90,40,660.00	29,04,06,584.00	14,52,03,293.00	14,52,03,291.00	29,04,06,584.00
11	नगर पंचायत, बख्तियारपुर	91,12,028.00	6,33,333.00	97,45,361.00	48,72,681.00	48,72,680.00	97,45,361.00
12	नगर पंचायत, विक्रम	42,77,785.00	21,13,831.00	63,91,616.00	31,95,808.00	31,95,808.00	63,91,616.00
13	नगर पंचायत, राजगीर	79,11,600.00	14,50,226.00	93,61,826.00	46,80,913.00	46,80,913.00	93,61,826.00
14	नगर पंचायत, नवगछिया	93,34,991.00	5,40,111.00	98,75,102.00	49,37,551.00	49,37,551.00	98,75,102.00
15	नगर पंचायत, कहलगाँव	64,11,160.00	3,02,731.00	67,13,891.00	33,56,946.00	33,56,945.00	67,13,891.00
16	नगर पंचायत, बांका	87,46,763.00	9,06,752.00	96,53,515.00	48,26,758.00	48,26,757.00	96,53,515.00
17	नगर पंचायत, चकिया	39,35,349.00	2,99,368.00	42,34,717.00	21,17,359.00	21,17,358.00	42,34,717.00
18	नगर पंचायत, चनपटिया	51,54,611.00	3,63,758.00	55,18,369.00	27,59,185.00	27,59,184.00	55,18,369.00
19	नगर पंचायत, रामनगर	92,09,812.00	7,78,451.00	99,88,263.00	49,94,132.00	49,94,131.00	99,88,263.00
20	नगर पंचायत, जयनगर	41,43,855.00	74,482.00	42,18,337.00	21,09,169.00	21,09,168.00	42,18,337.00
21	नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर	59,70,750.00	4,68,032.00	64,38,782.00	32,19,391.00	32,19,391.00	64,38,782.00
22	नगर पंचायत, बड़हिया	81,86,500.00	12,75,315.00	94,61,815.00	47,30,908.00	47,30,907.00	94,61,815.00
23	नगर पंचायत, दिघवास	62,28,718.00	6,37,658.00	68,66,376.00	34,33,188.00	34,33,188.00	68,66,376.00
24	नगर पंचायत, मढ़ौरा	56,94,328.00	6,06,423.00	63,00,751.00	31,50,376.00	31,50,375.00	63,00,751.00
25	नगर पंचायत, एकमा बाजार	57,92,873.00	3,45,979.00	61,38,852.00	30,69,426.00	30,69,426.00	61,38,852.00
26	नगर पंचायत, बनमंछी	57,71,186.00	9,68,259.00	67,39,445.00	33,69,709.00	33,69,709.00	67,39,448.00
	कुल (ग)	105882309.00	1,17,64,709.00	11,76,46,991.00	5,88,23,500.00	5,88,23,491.00	11,76,46,991.00
	कुल योग (क+ख+ग)	708193435.00	7,86,88,172.00	78,68,81,580.00	39,34,40,794.50	39,34,40,785.50	78,68,81,580.00

10.3.17
सरकार के विशेष सचिव

empty

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 10/03/17

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में Performance Grant मद के रूप में भारत सरकार से प्राप्त कुल ₹10421.56 लाख (एक सौ चार करोड़ इक्कीस लाख छप्पन हजार रु०) में से Performance Grant की विमुक्ति हेतु जारी Operational Criteria के अनुसार योग्य शहरी स्थानीय निकायों के बीच अवशेष ₹7868.81580 लाख (अठहत्तर करोड़ अड़सठ लाख इक्कासी हजार पाँच सौ अस्सी रु०) मात्र अनुदान के राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार से Performance Grant मद राशि की विमुक्ति की सूचना वित्त विभाग के पत्रांक- 1345, दिनांक- 23.02.2017 द्वारा दी गयी है। भारत सरकार से Performance Grant मद में कुल ₹10421.56 लाख (एक सौ चार करोड़ एककीस लाख छप्पन हजार रु०) मात्र अनुदान की राशि शहरी स्थानीय निकायों के बीच वितरित करने हेतु प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली Basic Grant एवं Performance Grant की राशि को भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरांत राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के बीच जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर वितरित करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक- 08.07.2015 के मद संख्या- 57 द्वारा प्राप्त हो चुकी है।

2. भारत सरकार से प्राप्त होने वाली 14वें वित्त आयोग मद के Performance Grant की राशि को विमुक्त करने हेतु 14वें वित्त आयोग द्वारा निम्नांकित शर्तें निर्धारित की गई हैं:-

- (i) Audited Account for FY 2014-15
- (ii) Minimum 5% increase in own sources during FY 2015-16 over FY 2014-15
- (iii) Service level benchmarking in annual Budget for FY 2016-17 and publishing the same

3. विभागीय पत्रांक- 8687, दिनांक- 25.11.2016 द्वारा 14वें वित्त आयोग के Performance Grant की राशि के वितरण हेतु विस्तृत प्रक्रिया तैयार कर शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया। जिसके कंडिका- 2(d) में यह प्रावधान किया गया था कि उपरोक्त तीनों शर्तों में से यदि कोई शर्त नगर निकाय पूरा नहीं कर पाता है तो उस शर्त के अंश राशि की कटौती कर ली जायेगी।
4. अवर सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ई०-मेल के माध्यम से विभाग द्वारा प्रेषित किये गये राशि के वितरण हेतु विस्तृत प्रक्रिया के कंडिका- 2(d) में निहित "तीनों शर्तों में से यदि कोई शर्त नगर निकाय पूरा नहीं कर पाता है तो उस शर्त के अंश राशि की कटौती की जायेगी।" को हटाकर संशोधित प्रारूप/वितरण की प्रक्रिया पुनः भेजने का अनुरोध किया गया। तदनुसार विभाग द्वारा संशोधित प्रक्रिया भारत सरकार को भेजी गयी, जिसके अनुसार वित्त आयोग द्वारा निर्धारित तीनों शर्तों का जो नगर निकाय पूरी तरह पालन करेंगे मात्र उन्हें ही Performance Grant की राशि आवंटित की जायेगी।
5. वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों के पालन अथवा पूरा करने के संबंध में सभी 140 नगर निकाय से संबंधित प्रतिवेदन 'SPUR' के पत्रांक- 116, दिनांक- 23.02.2017 द्वारा उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार मात्र 26 नगर निकाय ऐसे हैं जो उक्त तीनों शर्तों का शतप्रतिशत अनुपालन करते हैं। इनमें 06 नगर निगम, 04 नगर परिषद एवं 16 नगर पंचायत ही शामिल हैं।
6. तदनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार से प्राप्त Performance Grant की कुल ₹10421.56 लाख (एक सौ चार करोड़ इक्कीस लाख छप्पन हजार रु०) में से वित्त आयोग द्वारा निर्धारित तीनों शर्तों को पूरा करने वाले 26 नगर निकायों को 90 प्रतिशत जनसंख्या एवं 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर वितरित करते हुए ₹2552.74420 लाख (पच्चीस करोड़ बावन लाख चौहत्तर हजार चार सौ बीस रु०) मात्र विभागीय राज्यादेश सं०- 242, दिनांक- 06.03.2017 द्वारा स्वीकृत करते हुए आवंटनादेश सं०- 243, दिनांक- 06.03.2017 द्वारा स्वीकृत एवं आवंटित किया जा चुका है।
7. 14वें वित्त आयोग के Performance Grant की राशि के वितरण हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजे गये विस्तृत प्रक्रिया (Detailed Procedure) के कंडिका- 1(B) में निम्नांकित शर्त का उल्लेख है :-

"In case some amount of the performance grant remains after disbursement to the eligible ULB's, the undisbursed amount should be distributed on an equitable basis among all the eligible ULB's that had fulfilled the conditions for getting the performance grant".

8. तदनुसार उक्त शर्त के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2016-17 में 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार से प्राप्त Performance Grant की कुल ₹10421.56 लाख (एक सौ चार करोड़ इक्कीस लाख छप्पन हजार रु०) में से वित्त आयोग द्वारा निर्धारित तीनों शर्तों को पूरा करने वाले 26 नगर निकायों को 90 प्रतिशत जनसंख्या एवं 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर ₹2552.74420 लाख (पच्चीस

करोड़ बावन लाख चौहत्तर हजार चार सौ बीस रु०) मात्र वितरित करने के उपरांत अवशेष ₹7868.81580 लाख (अठहत्तर करोड़ अड़सठ लाख इक्यासी हजार पाँच सौ अस्सी रु०) मात्र अनुदान की राशि को विस्तृत प्रक्रिया (Detailed Procedure) के कंडिका- 1(B) के आलोक में संलग्न सूची के अनुसार स्वीकृत किया जाता है।

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹7868.81580 लाख (अठहत्तर करोड़ अड़सठ लाख इक्यासी हजार पाँच सौ अस्सी रु०) मात्र ।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

9. कुल स्वीकृत ₹7868.81580 लाख (अठहत्तर करोड़ अड़सठ लाख इक्यासी हजार पाँच सौ अस्सी रु०) मात्र की राशि की निकासी, संबंधित नगर निकायों के नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा संबंधित कोषागार से की जायेगी एवं अपने पी०एल० खाता में संधारित की जायेगी। 14वें वित्त आयोग के प्रावधानों के अनुसार इस राशि की निकासी 15 दिनों के अंदर करना अनिवार्य है, अन्यथा विलम्ब के लिए राज्य सरकार को ब्याज देना पड़ेगा। तदनुसार हर स्तर पर तत्परता अपेक्षित है। संबंधित सभी नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी की वे निर्धारित अवधि के पूर्व अपने नगर निकाय के लिए स्वीकृत राशि की कोषागार से निकासी सुनिश्चित करेंगे।

10. कुल स्वीकृत राशि ₹7868.81580 लाख (अठहत्तर करोड़ अड़सठ लाख इक्यासी हजार पाँच सौ अस्सी रु०) मात्र की निकासी वित्तीय वर्ष 2016-17 में मांग संख्या-48 के अंतर्गत निम्न बजट शीर्षों से की जाएगी :-

(क) कुल स्वीकृत राशि ₹7868.81580 लाख (अठहत्तर करोड़ अड़सठ लाख इक्यासी हजार पाँच सौ अस्सी रु०) मात्र से ₹3788.28005 लाख (सैंतीस करोड़ अठासी लाख अठाईस हजार पाँच रु०) मात्र क्रमांक- 01 से 06 पर अंकित नगर निगमों द्वारा मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-191-नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष-0010-वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निगमों को प्राथमिक कार्यों के लिए सहायक अनुदान, विपत्र कोड- N 2217801910010, विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण मद से संलग्न सूची के स्तम्भ- 6 में अंकित राशि की निकासी की जायेगी तथा विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा मद से संलग्न सूची के स्तम्भ- 7 में अंकित राशि की निकासी की जायेगी। इस बजट शीर्ष से संबंधित नगर निगमों के नगर आयुक्त द्वारा राशि की निकासी की जायेगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक उपबंध में आवश्यक राशि का प्रावधान है।

(ख) कुल स्वीकृत राशि ₹7868.81580 लाख (अठहत्तर करोड़ अड़सठ लाख इक्यासी हजार पाँच सौ अस्सी रु०) मात्र से ₹2904.06584 लाख (उनतीस करोड़ चार लाख छः हजार पाँच सौ चौरासी रु०) मात्र क्रमांक- 07 से 10 पर अंकित नगर परिषदों द्वारा मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उप मुख्य

शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-192-नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, उप शीर्ष- 0001-वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर परिषदों को प्राथमिक कार्यों के लिए सहायक अनुदान, विपत्र कोड- N 2217801920001, विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण मद से संलग्न सूची के स्तम्भ- 6 में अंकित राशि की निकासी की जायेगी तथा विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा मद से संलग्न सूची के स्तम्भ- 7 में अंकित राशि की निकासी की जायेगी। इस बजट शीर्ष से संबंधित नगर परिषदों के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी की जायेगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक उपबंध में आवश्यक राशि का प्रावधान है।

(ग) कुल स्वीकृत राशि ₹7868.81580 लाख (अठहत्तर करोड़ अड़सठ लाख इक्यासी हजार पाँच सौ अस्सी रु०) मात्र से ₹1176.46991 लाख (ग्यारह करोड़ छिहत्तर लाख छियालीस हजार नौ सौ इक्यानवे रु०) मात्र क्रमांक- 01 से 06 पर अंकित नगर निगमों द्वारा मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष-0001-वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायतों को प्राथमिक कार्यों के लिए सहायक अनुदान, विपत्र कोड- N 2217801930001, विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण मद से संलग्न सूची के स्तम्भ- 6 में अंकित राशि की निकासी की जायेगी तथा विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा मद से संलग्न सूची के स्तम्भ- 7 में अंकित राशि की निकासी की जायेगी। इस बजट शीर्ष से संबंधित नगर पंचायतों के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी की जायेगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक उपबंध में आवश्यक राशि का प्रावधान है।

11. शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा इस राशि का संधारण अपने नगर निकाय के पी०एल० खाता में किया जायेगा। विभागीय संकल्प सं०- 3583, दिनांक- 13.07.2015 के प्रावधानों के अनुसार योजनाओं का चयन एवं राशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। नगर निकायों का दायित्व होगा कि हर हाल में पूरी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, बिहार को ससमय उपलब्ध कराने हेतु विहित प्रपत्र (दो प्रतियों) में विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे ताकि उसे प्रतिहस्ताक्षरित कर महालेखाकार को भेजा जा सके। अन्यथा इसके लिए संबंधित नगर निकाय उत्तरदायी होंगे।

12. शहरी स्थानीय निकायों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि चयनित योजनाओं का डुप्लिकेशन किसी भी परिस्थिति में अन्य योजनाओं से नहीं हो।

13. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2), दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

14. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-2ब०/14वें वित्त आयोग-25-03/2015 के पृ०-.....6.8...../टि० पर दिनांक- 9.03.2017 को प्राप्त है तथा सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति पृ०-.....6.8...../टि० पर दिनांक- 09.03.2017 को प्राप्त है।

15. इसकी सूचना संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित नगर निगमों के नगर आयुक्त/संबंधित नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

अनु०-यथोक्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

10.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/14वें वित्त आयोग-25-03/2015 249 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-10.3.17

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित नगर निगमों के नगर आयुक्त/संबंधित नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/वित्त विभाग (14वें वित्त आयोग कोषांग)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आर्ष सचिव/विभागीय मंत्री के आर्ष सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विशेष सचिव-सह-निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 एवं 07/विभागीय आई०टी०, प्रबंधक, को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/प्रबंधक, एम०आई०सेल को संबंधित नगर निकायों को ससमय राशि की निकासी करने की सूचना देने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी संबंधित नगर परिषद एवं नगर पंचायत के साथ ही कोषागार पदाधिकारी संबंधित कोषागार का यह दायित्व होगा कि नगर निकायों के संबंधित विपत्र कोड से ही राशि की निकासी की जाय।

10.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

(राशि रु० में)

क्र० सं०	नगर निगम का नाम	जनसंख्या के आधार पर आकलित 90 प्रतिशत राशि	क्षेत्रफल के आधार पर आकलित 10 प्रतिशत राशि	कुल स्वीकृत राशि (रुपये में) (3+4)	विषय शीर्ष 31 05 से निकासी की जाने वाली राशि	विषय शीर्ष 31 06 से निकासी की जाने वाली राशि	निकासी की जाने वाली कुल राशि (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बिहारशरीफ नगर निगम	5,54,75,513.00	56,29,479.00	6,11,04,992.00	3,05,52,496.00	3,05,52,496.00	6,11,04,992.00
2	भागलपुर नगर निगम	7,46,74,384.00	72,27,293.00	8,19,01,677.00	4,09,50,838.00	4,09,50,839.00	8,19,01,677.00
3	मुजफ्फरपुर नगर निगम	6,61,48,934.00	63,31,368.00	7,24,80,302.00	3,62,40,151.00	3,62,40,151.00	7,24,80,302.00
4	कटिहार नगर निगम	4,49,44,668.00	58,78,614.00	5,08,23,282.00	2,54,11,641.00	2,54,11,641.00	5,08,23,282.00
5	बेगूसराय नगर निगम	4,70,29,190.00	21,51,180.00	4,91,80,370.00	2,45,90,184.50	2,45,90,185.50	4,91,80,370.00
6	पूर्णियाँ नगर निगम	5,26,72,513.00	1,06,64,869.00	6,33,37,382.00	3,16,68,691.00	3,16,68,691.00	6,33,37,382.00
	कुल (क)	34,09,45,202.00	3,78,82,803.00	37,88,28,005.00	18,94,14,001.50	18,94,14,003.50	37,88,28,005.00
7	नगर परिषद, खगौल	3,03,74,859.00	25,75,797.00	3,29,50,656.00	1,64,75,328.00	1,64,75,328.00	3,29,50,656.00
8	नगर परिषद, मोतिहारी	8,63,77,050.00	67,25,155.00	9,31,02,205.00	4,65,51,103.00	4,65,51,102.00	9,31,02,205.00
9	नगर परिषद, जमालपुर	7,21,87,874.00	51,56,436.00	7,73,44,310.00	3,86,72,155.00	3,86,72,155.00	7,73,44,310.00
10	नगर परिषद, किशनगंज	7,24,26,141.00	1,45,83,272.00	8,70,09,413.00	4,35,04,707.00	4,35,04,706.00	8,70,09,413.00
	कुल (ख)	26,13,65,924.00	2,90,40,660.00	29,04,06,584.00	14,52,03,293.00	14,52,03,291.00	29,04,06,584.00
11	नगर पंचायत, बख्तियारपुर	91,12,028.00	6,33,333.00	97,45,361.00	48,72,681.00	48,72,680.00	97,45,361.00
12	नगर पंचायत, विक्रम	42,77,785.00	21,13,831.00	63,91,616.00	31,95,808.00	31,95,808.00	63,91,616.00
13	नगर पंचायत, राजगीर	79,11,600.00	14,50,226.00	93,61,826.00	46,80,913.00	46,80,913.00	93,61,826.00
14	नगर पंचायत, नवगछिया	93,34,991.00	5,40,111.00	98,75,102.00	49,37,551.00	49,37,551.00	98,75,102.00
15	नगर पंचायत, कहलगाँव	64,11,160.00	3,02,731.00	67,13,891.00	33,56,946.00	33,56,945.00	67,13,891.00
16	नगर पंचायत, बांका	87,46,763.00	9,06,752.00	96,53,515.00	48,26,758.00	48,26,757.00	96,53,515.00
17	नगर पंचायत, चकिया	39,35,349.00	2,99,368.00	42,34,717.00	21,17,359.00	21,17,358.00	42,34,717.00
18	नगर पंचायत, चनपटिया	51,54,611.00	3,63,758.00	55,18,369.00	27,59,185.00	27,59,184.00	55,18,369.00
19	नगर पंचायत, रामनगर	92,09,812.00	7,78,451.00	99,88,263.00	49,94,132.00	49,94,131.00	99,88,263.00
20	नगर पंचायत, जयनगर	41,43,855.00	74,482.00	42,18,337.00	21,09,169.00	21,09,168.00	42,18,337.00
21	नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर	59,70,750.00	4,68,032.00	64,38,782.00	32,19,391.00	32,19,391.00	64,38,782.00
22	नगर पंचायत, बड़हिया	81,86,500.00	12,75,315.00	94,61,815.00	47,30,908.00	47,30,907.00	94,61,815.00
23	नगर पंचायत, दिघवारा	62,28,718.00	6,37,658.00	68,66,376.00	34,33,188.00	34,33,188.00	68,66,376.00
24	नगर पंचायत, मढ़ौरा	56,94,328.00	6,06,423.00	63,00,751.00	31,50,376.00	31,50,375.00	63,00,751.00
25	नगर पंचायत, एकमा बाजार	57,92,873.00	3,45,979.00	61,38,852.00	30,69,426.00	30,69,426.00	61,38,852.00
26	नगर पंचायत, बनमंखी	57,71,186.00	9,68,259.00	67,39,418.00	33,69,709.00	33,69,709.00	67,39,418.00
	कुल (ग)	105982309.00	1,17,64,709.00	11,76,46,991.00	5,88,23,500.00	5,88,23,491.00	11,76,46,991.00
	कुल योग (क+ख+ग)	708193435.00	7,86,88,172.00	78,68,81,580.00	39,34,40,794.50	39,34,40,785.50	78,68,81,580.00

10-3-17
सरकार के विशेष सचिव